कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 169/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 03.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 03.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति, जनपद आजमगढ़
दिनांक- 03.05.2026

आजमगढ़ पुलिस द्वारा खोए हुए कुल 352 एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कीमत लगभग 88 लाख रू0) किया गया बरामद; फरवरी 2024 से अब तक कुल 4172 एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कुल कीमत लगभग 10 करोड़, 28 लाख रूपये) बरामद कर स्वामियों को किये जा चुके है सुपुर्द।

अवगत कराना है कि **डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़** के निर्देशन में जनपद आजमगढ़ में नागरिकों के गुमशुदा/खोये हुए मोबाइल फोन बरामद किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गुमशुदा मोबाइल धारकों द्वारा सी0ई0आई0आर पोर्टल पर आनलाइन अपनी शिकायत दर्ज की जाती है, जिन्हे बरामद करने हेतु सीसीटीएनएस प्रभारी जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया गया था।

➡ जनपद में **माह फरवरी 2024** से गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुमशुदा मोबाइल धारकों द्वारा **सी0ई0आई0आर पोर्टल** पर आनलाइन अपनी शिकायत दर्ज की जाती है।

➡ माह अप्रैल 2026 में आजमगढ़ पुलिस द्वारा जनपद में खोए हुए **कुल 352 एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कीमत लगभग 88 लाख रूपये)** को सी0ई0आई0आर0 पोर्टल के माध्यम से बरामद किया गया हैं।

➡ आज दिनांक- 03.05.2026 को **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन** द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में बरामद एण्ड्रायड मोबाइल फोन को प्रत्येक स्वामियों को सुपुर्द किया गया हैं।

➡ वर्ष 2026 में आजमगढ़ पुलिस द्वारा **कुल 959 एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कीमत लगभग 02 करोड़, 39 लाख, 75 हजार रुपये)** को बरामद कर मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किया गया है।

➡ इस प्रकार **विगत 27 माह में कुल 4172 एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कुल कीमत लगभग 10 करोड़, 28 लाख रूपये)** को बरामद कर मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किया गया है।

➡ जनपद के **थानों द्वारा बरामद मोबाइल फोन का विवरण क्रमशः** - महराजगंज (45 मोबाइल फोन), मुबारकपुर (34 मोबाइल फोन), रौनापार (26 मोबाइल फोन), सरायमीर (19 मोबाइल फोन), निजामाबाद (18 मोबाइल फोन), जहानागंज (16 मोबाइल फोन), देवगांव (15 मोबाइल फोन), जीयनपुर (15 मोबाइल फोन), रानी की सराय (15 मोबाइल फोन), फूलपुर (15 मोबाइल फोन), गम्भीरपुर (14 मोबाइल फोन), सिधारी (14 मोबाइल फोन), बिलरियागंज (13 मोबाइल फोन), अहरौला (12 मोबाइल फोन), मेहनगर (12 मोबाइल फोन), अतरौलिया (11 मोबाइल फोन), कन्धरापुर (10 मोबाइल फोन), बरदह (10 मोबाइल फोन), कप्तानगंज (10 मोबाइल फोन), कोतवाली (08 मोबाइल

फोन), तरवां (06 मोबाइल फोन), मेहनाजपुर (05 मोबाइल फोन), तहबरपुर (04 मोबाइल फोन), पवई (03 मोबाइल फोन), दीदारगंज (02 मोबाइल फोन)।

प्रेस नोट, दिनांक 03.05.2026
थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

महिला की हत्या के मामले में पति व देवर गिरफ्तार

त्वरित कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 01.05.2026 को वादी मुकदमा सूर्यप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 सत्यदेव सिंह निवासी ग्राम जमीन हरखोरी धनछुला थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना अतरौलिया पर लिखित तहरीर दी गई, कि प्रातः लगभग 08:00 बजे प्रतिवादीगण द्वारा वादी की पुत्री सिप्पी सिंह (उम्र लगभग 36 वर्ष) को संतान न होने की बात को लेकर एक राय होकर मारपीट कर हत्या कर दिया जिसके सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 161/26 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष अतरौलिया देवेन्द्र नाथ दूबे द्वारा की जा रही है।

विवेचना के क्रम में आज दिनांक 03.05.2026 को थानाध्यक्ष अतरौलिया देवेन्द्र नाथ दूबे मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. पंकज सिंह पुत्र स्व0 राम सिंह (पति) उम्र 37 वर्ष तथा 2. विनय सिंह पुत्र स्व0 राम सिंह (देवर) उम्र 24 वर्ष निवासीगण ग्राम रतुआपार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को सिकन्दपुर तिराहा से समय करीब 07:50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0-161/26 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. पंकज सिंह पुत्र स्व0 राम सिंह, उम्र 37 वर्ष
2. विनय सिंह पुत्र स्व0 राम सिंह, उम्र 24 वर्ष

निवासीगण ग्राम रतुआपार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –
थानाध्यक्ष अतरौलिया देवेन्द्र नाथ दूबे, का0 जयराय, रि0का0 सतलज वर्मा, रि0म0आ0 कुमारी नेहा, रि0म0आ0 सृष्टि, चालक का0 अरुण कुमार सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक 03.05.2026
थाना – रौनापार, जनपद आजमगढ़

दहेज हत्या के मामले में पति गिरफ्तार

पुलिस की त्वरित कार्यवाही में 48 घंटे के भीतर आरोपी दबोचा गया

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा अजय यादव पुत्र स्व0 रामलवट यादव निवासी ग्राम नौबरार देवारा जदीद थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी बहन बन्दना को उसके पति ने दहेज की मांग को लेकर लगातार मारपीट एवं प्रताड़ित किया जाता था तथा दिनांक 01.05.2026 को समय करीब 07:30 बजे अभियुक्त द्वारा मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गयी। जिसके आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 104/26 धारा 85, 80(2), 115(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 शिवम मिश्रा मय हमराह द्वारा दिनांक 03.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त तन्मय हीरा विश्वास पुत्र सुमन्त हीरा विश्वास निवासी जामतला डुबली थाना गागनपुर जनपद नोदिया पश्चिम बंगाल (हाल पता ग्राम हैदराबाद थाना रौनापार, आजमगढ़) को करखिया मोड़ से समय करीब 08:10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 104/26 धारा 85/80(2)/115(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना रौनापार, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास– उपरोक्त अभियोग।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 शिवम मिश्रा, का0 जितेन्द्र प्रसाद, का0 विकास कुमार, रि0का0 सुधाकर यादव, रि0का0 सतीश मद्धेशिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 03.05.2026
थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
तकनीक का प्रहार-यक्ष ऐप और फेस रिकग्निशन की मदद से थाना रौनापार क्षेत्रान्तर्गत फरार बन्दी एवं 25000/- रुपये का इनामियां अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 12.12.2025 को वादी मुकदमा अनिल कुमार पाण्डेय जेलर जिला कारागार आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पर तहरीर दिया गया कि हत्या के अभियोग में जिला कारागार मे निरुध्द बन्दी उदय पुत्र जसवन्त निवासी अमीना नगर पादरी बाजार, थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को मेडिकल मुआयना हेतु हेतु बन्दी रक्षक 1- विनोद दुबे व 2- गौशुल आजम खाँ के साथ दिनांक 12.12.2025 को जिला चिकित्सालय आजमगढ़ भेजा गया था उक्त बन्दी रक्षकों को चकमा देकर भाग गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 648/25 धारा 261/262 बीएनएस बनाम 1- उदय पुत्र जसवन्त निवासी अमीना नगर पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर,

2.बन्दी रक्षक विनोद दुबे पता- चौहान पट्टी पडरी मिर्जापुर उ0प्र0, 3.बन्दी रक्षक गौशुल आजम खाँ पता- सीतापट्टी बंजरिया बाजार, तरकुलवा ,देवारिया उ0प्र0 के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ उपरोक्त मुकदमों में वांछित अभियुक्त उदय उपरोक्त फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश देने के उपरान्त भी गिरफ्तारी न होने के उपरान्त दिनांक के उपर श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा 25,000/-(पच्चीस हजार रुपये) का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण- श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण के नेतृत्व में परिकल्पित एवं अपर पुलिस महानिदेशक अपराध महोदय के नेतृत्व में विकसित यक्ष ऐप का उपयोग करते हुए 25000/- रुपये के पुरस्कार घोषित फरार बन्दी उदय पुत्र जयवन्त की गिरफ्तारी हेतू वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार ने निर्देशित किया जिसके क्रम में यक्ष ऐप के SOS के माध्यम से जनपद के पुलिस कर्मियों के मोबाइल फोन पर अलर्ट प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से थानाध्यक्ष रौनापार सुनिल कुमार दुबे अभियुक्त उदय पुत्र जसवन्त हाल मुकाम अमीना नगर पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर एवं स्थाई पता सत्ताधर नगर विशाल नगर के पिछे महावीर स्कूल के सामने थाना इशनपुर जनपद अहमदाबाद गुजरात को आज दिनांक 03.05.2026 को हैदराबाद बन्धा चौराहा से समय करीब 08:15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 120//17 धारा 302/201भादवि थाना फरेंदा जनपद महराजगंज।
2. मु0अ0सं0 648/25 धारा 261/262 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- उदय पुत्र जसवन्त हाल मुकाम अमीना नगर पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर एवं स्थाई पता सत्ताधर नगर विशाल नगर के पिछे महावीर स्कूल के सामने थाना इशनपुर जनपद अहमदाबाद गुजरात उम्र करीब 49 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे, का0 अवधेश यादव, रि0का0 सचिन कुमार गुप्ता, म0का0 रत्नावली कुशवाहा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक– 03.05.2026,

थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

तकनीक का प्रहार यक्ष ऐप व फेस रिकग्निशन तकनीक से फरार बन्दी गिरफ्तार

25,000/- रुपये का इनामियां अभियुक्त को आजमगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

मेडिकल के दौरान फरार हुआ हत्या का आरोपी गिरफ्तार

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग करते हुए थाना रौनापार पुलिस ने सराहनीय सफलता प्राप्त की है। दिनांक 12.12.2025 को वादी मुकदमा अनिल कुमार पाण्डेय, जेलर जिला कारागार आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर दी गयी तहरीर के आधार पर यह अभियोग पंजीकृत किया गया था कि हत्या के मामले में निरुद्ध बन्दी उदय पुत्र जसवन्त निवासी अमीना नगर पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को मेडिकल मुआयना हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया था, जहां से वह बन्दी रक्षकों को चकमा देकर फरार हो गया था। इस संबंध में मु0अ0सं0 648/25 धारा 261/262 बीएनएस पंजीकृत कर दौरान विवेचना अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। गिरफ्तारी न होने की दशा में **दिनांक 01.05.2026 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25,000/- रुपये का पुरस्कार** घोषित किया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में विकसित यक्ष ऐप के माध्यम से प्राप्त अलर्ट के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना रौनापार पुलिस द्वारा सक्रिय कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उदय पुत्र जसवन्त को दिनांक 03.05.2026 को समय करीब 08:15 बजे हैदराबाद बन्धा चौराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का वर्तमान पता अमीना नगर पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर तथा स्थायी पता सत्ताधर नगर, विशाल नगर के पीछे महावीर स्कूल के सामने थाना इशनपुर जनपद अहमदाबाद, गुजरात है, जिसकी उम्र लगभग 49 वर्ष है। गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 120/17 धारा 302/201 भादवि थाना फरेंदा जनपद महराजगंज
2- मु0अ0सं0- 648/25 धारा 261/262 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे, कांस्टेबल अवधेश यादव, रिजर्व कांस्टेबल सचिन कुमार गुप्ता एवं महिला कांस्टेबल रत्नावली कुशवाहा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।

प्रेस नोट – थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

बहला-फुसलाकर नाबालिग को भगाने वाला बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में

दिनांक 28.04.2026 को वादी मुकदमा द्वारा सूचना दी गई कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई है, जिसकी काफी खोजबीन के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी । वादी द्वारा गांव के ही 02 लोगों पर संलिप्तता का संदेह व्यक्त किया गया। जिसके आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0- 126/2026 धारा 137(2), 61(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 ओमप्रकाश दुबे द्वारा की जा रही है।

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमे में धारा 87 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी तथा 01 बालअपचारी का नाम प्रकाश में आया । जिसके क्रम में आज दिनांक 03.05.2026 को उ0नि0 ओमप्रकाश दुबे मय हमराह (सादे वस्त्रों में) द्वारा उक्त बालअपचारी को धरौली मोड़ नहर रोड कुशमहरा के पास से समय लगभग 06:30 बजे पुलिस संरक्षण में लेकर मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

संरक्षण में लेने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 ओमप्रकाश दुबे, आरक्षी उदयभान गुप्ता, रिक्रूट आरक्षी अमित मिश्रा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस नोट, दिनांक- 03.05.2026

थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

त्वरित पुलिस कार्यवाही में मुख्य आरोपी को तरवां पुल के पास से गिरफ्तार किया गया

दिनांक 02.05.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना तरवा पर तहरीर दी गई कि उसका पड़ोसी जो रिश्ते में भांजा है रबिकान्त पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम मोकलपुर (उसरताला) थाना तरवां का उसके घर पर आना-जाना था। अभियुक्त ने वादिनी को अकेला पाकर जबरन दुष्कर्म किया तथा उसका अश्लील वीडियो बना कर वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। जिसके सम्बन्ध में थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 83/2026 धारा 64(2)(m), 351(3) बीएनएस अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

आज दिनांक 03.05.2026 को थानाध्यक्ष तरवां चन्द्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रबिकान्त पुत्र बाबूराम को तरवां पुल से समय करीब 07:05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रबिकान्त पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम मोकलपुर (उसरताला) थाना तरवां जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 महेश यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 उपेन्द्र यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़
4. म0का0 पूनम मौर्या थाना तरवां जनपद आजमगढ़

प्रेस- विज्ञप्ति, दिनांक 03.05.2026

थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में

पूर्व की घटना- दिनांक 30.04.2026 को वादी मुकदमा द्वारा तहरीर दिया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री को दिनांक 26.4.2026 की रात्रि समय लगभग 12 बजे 01 बाल अपचारी बहला फुसला कर भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 136/26 धारा 87/137(2) BNS पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 03.05.2026 को उ0नि0 मो0 आलम मय हमराह (शादे वस्त्रो में) द्वारा 01 बाल अपचारी को ग्राम गौरा से समय करीब 11:10 बजे पुलिस संरक्षण में लेकर मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

पुलिस संरक्षण में लेने वाली टीम – उ0नि0 मो0 आलम, का0 विशाल मल्ल, रि0का0 सौरभ जायसवाल थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।